राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4551/2022

सरोज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुंझुंनू (राज.)।
5. चिकित्सा अधिकारी, पी.एच.सी., Pacheri Kalan, ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुंनू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022
आदेश की दिनांक : 14.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेरी कलां, बुहाना, झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, भगवानपुरा, बाडमेर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष मानते हुए किया गया है जबकि

अपीलार्थी स्वीकृत पद पर पदस्थापित है और उसे आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। स्थानान्तरण आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष/आदेशों की प्रतीक्षा, के कार्मिकों की कोई सूची जारी नहीं की गई। अपीलार्थी वर्ष 2013 से पचेरी कलां, बुहाना, झुंझुंनू में ही कार्यरत है और उसे रिक्त पद के विरूद्ध ही पदस्थापित किया गया है। उसका स्थानान्तरण बिना प्रशासनिक अत्यावश्यकता के दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचेरी कलां, बुहाना, झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2013 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का किसी भी कार्मिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध आदेश दिनांक 05.08.2013 के अनुसार अपीलार्थी की एल.एच.वी. (L.H.V.) के रिक्त पद के विरूद्ध लगाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के ही अधिशेष होने की स्थिति स्वमेव ही हो जाती है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी ए.एन.एम. के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित है या अधिशेष कार्मिक नहीं है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में अंकित किया गया है कि :– आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने

शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य